




## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय-आदेश


राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(12)शिक्षा-2/2019 दिनांक-03.01.2020 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 09.01.2020 द्वारा श्री शकील अहमद, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचाला, फागी, जिला जयपुर को प्रतिनियुक्ति पर अल्प संख्यक मामलात विभाग, जयपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हज यात्रा-2020 का कार्य पूर्ण होने तक अथवा 6 माह तक जो भी पहले हो तक "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(12)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 02.11.2020 की पालना में उक्त कार्मिक की प्रतिनियुक्ति अवधि में "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत दिनांक: 03.07.2020 से 02.07.2021 तक अभिवृद्धि किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

  
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13408/अल्पसंख्यक मामलात/प्रति./2019/17 दिनांक: 03-11-2020  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय अल्प संख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचाला, फागी, जिला-जयपुर।
6. श्री शकील अहमद, शारीरिक शिक्षक।
7. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर